



राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग



क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2016

जयपुर, दिनांक : 23-10-2024

आदेश

दिनांक 31.10.2024 को दीपावली पर्व होने के कारण जो कि राजपत्रित अवकाश है, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों (पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित) के माह अक्टूबर, 2024 के वेतन एवं भत्तों आदि का भुगतान दिनांक 30.10.2024 को/से कर दिया जावे। इसी प्रकार पेंशन भुगतान कार्यालयों से पेंशन पाने वाले पेंशनरों को भी उनके माह अक्टूबर, 2024 की पेंशन का भुगतान उपरोक्तानुसार कर दिया जावे। यह आदेश दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों पर भी लागू होगा।

आज्ञा से,

(देवाशीष पृष्टि)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

23/10/24

क्रमांक एफ. 4.(1-आर)/स्वाकेराकृवि/सी/2024/ 1381

दिनांक 26-10-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे. निदेशक/सह. निदेशक/प्रभारी अधिकारी
2. कुलसचिव, स्वाकेराकृवि, बीकानेर ।
3. प्रभारी अधिकारी, सिमका, को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय स्वाकेराकृवि, बीकानेर ।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, स्वाकेराकृवि, बीकानेर ।
6. रक्षित पत्रावली ।

वित्त नियंत्रक